राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com Phone No. 0141-2701596

क्रमांक:–राप्राशिप/गुण.शिक्षा/आंगनबाड़ी समन्वयन/2017–18 6351 दिनांक : 05/9/17

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि0
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

विषय :– भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्यालयों में समन्वयन बाबत।
संदर्भ :– राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प. 17 (9) प्रा.शि./आयोजना/2017/जयपुर/24.4.17 एवं श्रीमान सचिव महोदय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र न. 11–4/2017–CD.1 & 12.19/2017/EE.8 Dated 20 July, 2017

राज्य सरकार के संदर्भित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 1.2 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का समन्वयन निकटतम विद्यालय में किया जाना है। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है और कक्ष निर्माण का स्थान है तो बिन्दु संख्या 1.3 की पालना करते हुए विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाकर आंगनबाड़ी समन्वयन किया जावे। विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष/पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार पालना करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के श्रीमान सचिव महोदय द्वारा भवन विहीन एवं किराये पर संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के संबंध में राज्य की प्रगति रिपोर्ट चाही है। पत्र को प्राथमिकता देते हुए 500 मीटर की परिधि में भवन विहीन एवं किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का समन्वयन निकटतम विद्यालय में दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 1.2, 1.3, एवं 1.4 के अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं पालना रिपोर्ट से शीघ्र अवगत करावें।

संलग्न –

1. दिशा–निर्देशों की बिन्दु संख्या 1.2, 1.3, एवं 1.4
2. सचिव भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र

(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक:–राप्राशिप/गुण.शिक्षा/आंगनबाड़ी समन्वयन/2017–18 6352 दिनांक : 05/9/17
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. उपनिदेशक, समस्त महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. उपनिदेशक, शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों के पर्यपेक्षण में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रभावी पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सयुंक्त रूप से जारी दिशा निर्देश –

राज्य सरकार बच्चों तथा महिलाओं के समेकित एवं समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार) एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयु वर्ग का मानक 3 से 6 वर्ष है (अनुलग्नक एन.सी.एफ 2005)

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर **प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE)** कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक–बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों के माध्यम से उनके आस–पास स्थित आँगनबाडी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा – निर्देशों की क्रियान्विति से निम्नलिखित लाभ होंगे :–

i) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों / शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण से लगभग 20,000 आँगनबाड़ी केन्द्रों में **प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखरेख (ECCE)** कार्यक्रम के तहत प्रभावी रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

ii) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में आसानी से नामांकन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

iii) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होने से प्राथमिक कक्षाओं के सुदृढ़ीकरण के स्तर में वृद्धि होगी।

iv) इन आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह दिशा–निर्देश स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उनसे संबद्ध आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे।

1. भवन सम्बन्धी (Infrastructure)

1.1 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें पूर्व में ही विद्यालय परिसर में आँगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उसे यथावत संचालित करते हुए, पूर्ण रूप से विद्यालय की संचालन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा, किन्तु आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय ICDS द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप होगा।

www.rajteachers.com

1.2 जिन विद्यालय परिसरों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में यथा सम्भव निकटतम आँगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रथम चरण में केवल वे ही आँगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित किये जायेंगे, जिनका कवरेज क्षेत्र विद्यालय भवन से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर एवं भवन विहीन हैं।

1.3 उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पृथक कक्ष उपलब्ध नहीं है परंतु एक कक्ष निर्माण का स्थान है तो सांसद क्षेत्रीय विकास कोष, विधायक विकास कोष, भामाशाह एवं दानदाताओं के सहयोग से कक्ष का निर्माण बाल मित्र कक्ष की तर्ज़ पर किया जा सकता है।

1.4 विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष/पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर निकटतम आँगनबाड़ी केन्द्र को उसी स्थान पर संचालित रखते हुए विद्यालय की संचालन प्रक्रिया से समन्वित किया जायेगा, किन्तु आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय ICDS द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप होगा।

1.5 विद्यालय परिसर में स्थित आँगनबाड़ी कक्ष के आस–पास ही बच्चों के खेलने के लिए स्थान का निर्धारण किया जाएगा जिसकी ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रधानाचार्य की होगी। आँगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए खेलने का स्थान तथा विद्यालय की अन्य कक्षाओं के बच्चों के खेलने के लिए स्थान यथासम्भव पृथक–पृथक होगा।

1.6 कक्षा 1 व 2 के बच्चे भी आँगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खेलने के निर्धारित स्थान पर खेल सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने वाले किसी एक शिक्षक/शिक्षिका को बच्चों के साथ उस स्थान पर रहना आवश्यक होगा।

संचालन एवं समन्वयन (Implementation)

2.1 उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित आँगनबाड़ी केंद्र पूर्ण रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय की संचालन प्रणाली के साथ समन्वित होगा।

2.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए बनाए जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में आँगनबाड़ी केंद्र के संचालन की वार्षिक कार्य योजना समाहित होगी।

2.3 उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन के लिए निर्धारित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यक्षेत्र में आँगनबाड़ी भी शामिल होगी अर्थात् विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय के संचालन से संबंधित चर्चाओं एवं निर्णयों के साथ ही आँगनबाड़ी केंद्र के संचालन पर भी चर्चा एवं निर्णय लिए जा सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में आँगनबाड़ी केंद्र को भी शामिल किया जाएगा।

2.4 विद्यालय प्रबंधन समिति में लिए गए किसी निर्णय के क्रियान्वयन में यदि किसी राशि की आवश्यकता है तो उसका प्रावधान समेकित बाल विकास परियोजना के बजट मद में भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत स्वीकृत मद एवं प्रक्रिया के यथानुरूप किया जा सकता है।

2.5 आँगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली अभिभावक बैठक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की

www.rajteachers.com

शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या...5542
दिनांक...2220

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या 24919/17
24.07.17

Rakesh Srivastava
Secretary
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan
New Delhi

Anil Swarup
Secretary
D/o School Education & Literacy
M/o Human Resource Development
Shastri Bhawan
New Delhi

सत्यमेव जयते

D.O. No.11-4/2017-CD.I & 12-19/2017/EE.8

Date: July 20, 2017

Dear Chief Secretary,

The Department of School Education and Literacy is implementing the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Scheme which is the Government of India's flagship programme for universalization of Elementary Education all across the country, catering to children in the age group of 6-14 years.

2. The Ministry of Women and Child Development is implementing the flagship scheme of Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme in all States and UTs. This is the world's largest and most unique outreach programme providing a package of services comprising supplementary nutrition, immunization, health check up, referral services, nutrition & health Education and pre-school non-formal education. These services are provided to children in the age group of 0-6 years of age and pregnant women & lactating mothers. The focal point for all activities under the ICDS is the Anganwadi Centre (AWC).

3. Both the Department of School Education & Literacy and the Ministry of Women & Child Development are committed to work together and converge their activities for the greater benefit of all the beneficiaries.

4. Government of India approved 14 lakh Anganwadi Centres, which have been sanctioned to all the States/UTs accordingly. Out of these 14 lakh AWCs, 13.53 Anganwadi Centres are operational as on date. Many of these AWCs are running in rented buildings. We would request you to examine the possibility of shifting the Anganwadi Centres to the campus of the nearby primary schools located in the habitation of AWC's catchment to facilitate the transition of the children to the primary stage and ensure universal enrolment. The location of the AWCs within the premises of schools would also facilitate child preparedness for going to school and help in increasing the efficacy of both the Schemes.

5. We hope that you will examine the status of AWCs vis-à-vis the infrastructure available in the primary schools in your State/UT and take all necessary steps to relocate the AWCs accordingly. ***It should be ensured that the Schools in which AWCs are to be co-located, should be present in the same habitation where the AWC was previously present.*** We look forward to an early report from you in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(Rakesh Srivastava)

Sd/-
(Anil Swarup)

Chief Secretaries of all States / UTs

Copy to :
Principal Secretaries/Secretaries in-charge of Women & Child Development in all States/UTs.
Principal Secretaries/Secretaries in-charge of School Education in all States/UTs

(Rakesh Srivastava)

(Anil Swarup)

(Ashok Jain)
Chief Secretary

www.rajteachers.com